

दिनांक—21 मई, 2013 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. पटना जिला के अंचल—पुनपुन, मौजा—केवड़ा, थाना सं०—४० में खाता सं०—५७९, खेसरा सं०—१४३१ कुल रकबा—०.६१ एकड़ गैर मजरूआ आम गड़दा भूमि रु० १८,०००.०० प्रति डिसमिल की दर से कुल—०.६१ एकड़ भूमि की सलामी =रु० १८,०००.०० x ६१=रु० १०,९८,०००.०० (दस लाख अंठानवे हजार) और सलामी का ५ प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान =रु० १०,९८,०००.०० x ५ / १००=रु० ५४,९००.०० (चौबन हजार नौ सौ) का २५ गुणा =रु० ५४,९००.०० x २५=रु० १३,७२,५००.०० (तेरह लाख बहतर हजार पाँच सौ) पूँजीकृत मूल्य के भुगतान पर अर्थात् कुल भुगतेय राशि सलामी+ पूँजीकृत मूल्य =रु० १०,९८,०००.०० + १३,७२,५००.०० =रु० २४,७०,५००.०० (चौबीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ) के भुगतान पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. “बिहार सभूह ‘घ’ (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली, २०१०” में संशोधन की स्वीकृति।
2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।
3. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए ४० नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख—रखाव हेतु कुल ६६५१.५६४ लाख (छियासठ करोड़ एकावन लाख छप्पन हजार चार सौ रुपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
4. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत समस्तीपुर जिला के पटोरी, मोहिउद्दीन नगर एवं मोहनपुर प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित ६७ ग्रामों/बसावटों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख—रखाव हेतु कुल रु० १३७८०.५६ लाख (एक सौ सैतीस करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार रुपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
5. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बेगुसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगुसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल रु० 19178.00 लाख (एक सौ इकानवे करोड़ अठहत्तर लाख रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
6. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

7. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत 26 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल रु० 5600.3702 लाख (छप्पन करोड़ सैंतीस हजार बीस रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
7. स्वीकृत।

### लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत राज्य के 500 अदद सौर ऊर्जा से संचालित एवं ट्रीटमेंट यूनिट युक्त मिनी जलापूर्ति योजनाओं के पाँच वर्षों तक परिचालन एवं रख-रखाव हेतु रु० 4250.00 लाख (बैयालीस करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

### गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सी०आर०डब्लू०जे० सी० सं०-३०८ /८६ (गुजरात सरकार एवं बनाम माननीय उच्च न्यायालय गुजरात) में पारित आदेश के आलोक में राज्य के बंदियों के पारिश्रमिक में से अंशतः कटौती पश्चात् संचित निधि से पीड़ित परिवार के पुर्ववास हेतु गठित अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के संचालन हेतु ‘बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013’ की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

### पर्यावरण एवं वन विभाग

11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई (P.P.M.U.) के अंतर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन।
11. स्वीकृत।

### स्वास्थ्य विभाग

12. सदर अस्पताल, सुपोल के 100 शय्या वाले भवनों के निर्माण हेतु रु० 16,87,62,000/- (सोलह करोड़ सतासी लाख बासठ हजार रूपए) के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

### श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण)

13. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित कुल 236 (दो सौ छत्तीस) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन अवधि एक वर्ष के विस्तार हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—1029, दिनांक—19.01.2012 एवं संकल्प संख्या—17415, दिनांक—20.12.12 को शिथिल करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. भारत की जनगणना, 2011 के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्य यथा बायोमेट्रिक नामांकन हेतु POL एवं प्रचार प्रसार हेतु 5,64,20,000 (पाँच करोड़ चौसठ लाख बीस हजार रुपए) तथा पूर्व के वित्तीय वर्षों यथा 2010–11 एवं 2011–12 में जनगणना के कार्यों के लिए जिलों को आवंटित राशि की कतिपय जिलों द्वारा पूर्णतः निकासी नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिलों द्वारा मानदेय, प्रशिक्षण एवं कार्यालय व्यय मद में अधियाचित बकाया राशि 8,37,85,000.00 (आठ करोड़ सैतीस लाख पचासी हजार रुपए) इस तरह कुल 14,02,05,000.00 (चौदह करोड़ दो लाख पाँच हजार रुपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

14. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा—2 अंचल के मौजा—खरहट, थाना नं०—110, खाता संख्या—186, खेसरा सं०—10 / 1, रकवा—0.05 (पाँच डिसमिल) गैरमजरुआ मालिक परती कदीम भूमि, सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना की स्थापना के निमित्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

15. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. खगड़िया जिलान्तर्गत पर्यवेक्षण गृह/बाल गृह के निर्माण हेतु अंचल—खगड़िया मौजा—रॉको थाना नं०—269 खाता नं०—133 खेसरा नं०—616 रक्बा— 0.87 एकड़ गैर मजरुआ खास किस्म नदी नाशी भूमि समाज कल्याण विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

16. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सिवान जिले के अंचल—गुठनी में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु मौजा—गुठनी, थाना नं०—74, खाता सं०—227, खेसरा सं०—961 रकवा—49.76 डिसमिल (उनचास दशमलव सात छः डिसमिल) प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय गुठनी की भूमि 13,54,716 रु० (रूपये तेरह लाख चौवन हजार सात सौ सोलह) सलामी और सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय लगान का पचीस गुणा रु०—6,77,358 (रूपये छः लाख सतहत्तर हजार तीन सौ अन्नावन) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 20,32,074 (रूपये बीस लाख बत्तीस हजार चौहतर) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

17. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत परिचम चम्पारण जिले के अंचल योगापड़ी में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के विभिन्न खाता एवं खेसरा (परिशिष्ट—I संलग्न) का कुल रकवा—0.40 एकड़ (चालीस डिसमिल) प्रखण्ड कार्यालय—योगापड़ी की भूमि 8,64,000रु० (रूपये आठ लाख चौसठ हजार) सलामी और सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय लगान का 25 गुणा रु० 4,32,000 (रूपये चार लाख बत्तीस हजार) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 12,96,000 (रूपये बारह लाख छियानबे हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

18. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत अंचल के मौजा—बराह, थाना नं०—207, के विभिन्न खाता खेसरा की कुल—5.04 एकड़ बिहार सरकार की भूमि, अस्पताल, कल्याण विग्रह के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

19. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20. नालन्दा जिलान्तर्गत थरथरी अंचल के मौजा—थरथरी, थाना नं०—305, खाता सं०—273, खेसरा सं०—1743, रकवा—0.35 एकड़ (पैंतीस डी०) गैर मजरूआ आम किस्म पईन भूमि, प्रखण्ड स्तर पर राज्य खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

20. स्वीकृत।

### वित्त विभाग

21. दिनांक—01.04.2007 से दिनांक—23.09.2009 तक सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को देय उपदान की गणना उनके पुनरीक्षित वेतनमान में तथा 10.00 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत किये जाने के संबंध में। 21. स्वीकृत।

### वित्त विभाग

22. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक—01.01.13 के प्रभाव से 72 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/ राहत तथा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक— 01.01.2013 के प्रभाव से 151 प्रतिशत के स्थान पर 166 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. बिहार खास महाल नीति, 2011 में संशोधन के संबंध में। 23. स्वीकृत।